न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07/2025 **दायर दिनांकः 09.04.2025**

उनवान

1. सीमा जैन आयु 50 वर्ष पत्नि मनोज जैन जाति महाजन निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9680031143

प्रार्थिया

बनाम

1. सत्यनारायण महावीरप्रसाद पुत्र रूपचन्द जाति अहीर
2. संदीप कुमार पुत्र रूपचन्द जाति अहीर
3. अनुसूईया पुत्री रूपचन्द जाति अहीर
4. विद्या बाई पत्नि स्व० रूपचन्द जाति अहीर निवासीगण कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. जगन्नाथी बाई पत्नि स्व० रामकल्याण जाति अहीर
6. निर्मला बाई पुत्री रामकल्याण जाति अंहीर
7. राजेश बाई पुत्री रामकल्याण जाति अहीर
8. ललिता बाई पुत्री रामकल्याण जाति अहीर
9. लाड बाई पुत्री रामकल्याण जाति अहीर
10. विनय कुमार पुत्र रामकल्याण जाति अहीर
11. तुलसा बाई पत्नि देवकरण जाति अहीर
12. विष्णु पुत्र श्रीलाल जाति माली
13. गोपाली बाई पुत्री भंवरलाल जाति भील
14. भैरू पुत्र शोबक्श जाति अहीर निवासीगण कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
15. गंगा बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति भील
16. चन्दा पुत्र भंवरलाल जाति भील
17. गायत्री बाई पुत्री बन्ना जाति भील
18. छोटूलाल पुत्र बन्ना जाति भील

19. नेनाराम पुत्र बन्ना जाति भील
20. रामप्रसाद पुत्र बन्ना जाति भील
21. शान्ति बाई पत्नि स्व० बन्ना जाति भील
22. नन्दू पत्नि स्व० धन्ना जाति भील
23. नाबालिग पप्पू पुत्र धन्ना संरक्षक सरपस्त वली माता नन्दू जाति भील
24. रामबिलास पुत्र धन्ना जाति भील
25. पन्नालाल पुत्र देवलाल जाति भील
26. रतना पुत्र देवलाल जाति भील
27. पृथ्वीराज पुत्र गोपाल जाति भील
28. बिरधी बाई पुत्री गोपाल जाति भील
29. मांगी बाई पत्नि स्व० गोपाल जाति भील
30. राधेश्याम पुत्र गोपाल जाति भील
31. सीताराम पुत्र गोपाल जाति भील
32. लक्ष्मीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ कान्हा जाति भील निवासीगण कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
33. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
प्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 23.06.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ पटवार हल्का कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 192 का ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे०, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे०, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे०, ख.नं. 833 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हे० आराजी प्रार्थिया के दर्ज खाता स्थित है। नकल

जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थिया के स्वामित्व की ग्राम कुन्जैड़ की आराजी ख.नं. 663 के लगवा अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 680/1733 का रकबा 1.52 हे० तथा अप्रार्थी क्रम 5 व 6 के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 677 का रकबा 0.41 हे० तथा अप्रार्थी क्रम 7 ता 24 के स्वामित्व की आराजी ख. नं. 678 का रकबा 0.88 हे0 व ख.नं. 671 का रकबा 1.35 हे० तथा अप्रार्थी क्रम 25 ता 32 तथा अप्रार्थी 1 ता 4 के स्वामित्व के आराजी ख. नं. 662 का रकबा 4.08 हे0 स्थित है। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थिया के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे0 माल 2 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 680/1733 तथा अप्रार्थी क्रम 5 व 6 के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 677 तथा अप्रार्थी क्रम 7 ता 24 के स्वामित्व की आराजी ख. नं. 678 व ख.नं. 671 तथा अप्रार्थी क्रम 25 ता 32 तथा अप्रार्थी 1 ता 4 के स्वामित्व के आराजी ख.नं. 662 की मेड़ पर होकर बना हुआ है जिस पर प्रार्थिया वक्त आराजी खरीद से तथा आराजी विक्रेता हमेशा से अपने कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि लाते ले जाते चले आ रहे है। परन्तु इस वर्ष फरवरी 2025 में अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 ने रास्ते पर पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है तथा प्रार्थिया को उक्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थिया के स्वामित्व की आराजी ख. नं. 663 का रकबा 3.40 हे० पड़त रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रार्थिया के स्वामित्व की आराजी पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता यही है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में A to B अंकों से प्रदर्शित किया गया है। रास्ता अवरूद्ध करने को लेकर प्रार्थिया ने अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 से रास्ते में से पत्थर हटाने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 ने दिनांक 20/03/2025 को स्पष्ट मना कर दिया। तब प्रार्थिया थाना अटरू में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो थाना अटरू ने न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थिया को उसके स्वामित्व की प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम कुन्जैड़ की आराजी ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे0 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने हेतु ग्राम कुन्जैड़ के ख.नं. 680/1733, 677, 678, 671, 662 की मेड़ पर होकर दिया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थिया को अपने खेत पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का रास्ता नही मिला तो प्रार्थिया की आराजी पड़त रह जावेगी जिससे प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा प्रार्थिया को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पड़ेगा। अतः

प्रार्थिया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया को उसके स्वामित्व की आराजी ग्राम कुन्जैड़ की आराजी ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे० पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 32 के खाते की आराजी ग्राम कुन्जैड़ के ख.नं. 680/1733. 677, 678, 671, 662 की मेड़ पर होकर 5 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिलाया जावे। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में A to B अंकों से प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थिया रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवाद ग्रस्त रास्ता वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया को उसके स्वामित्व की आराजी ग्राम कुन्जैड़ की आराजी ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे० पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 32 के खाते की आराजी ग्राम कुन्जैड़ के ख.नं. 680/1733, 677, 678, 671, 662 की मेड़ पर होकर 5 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिलाया जावे। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में A to B अंकों से प्रदर्शित किया गया है । उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थिया रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी क्रम 33 तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 32 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 33 तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2178 दिनांक 05.06.2025 से मौका रिपोर्ट पेश की गई जो स्पष्ट नही होने से पुनः मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2310 दिनांक 23.06.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के खाते ग्राम कुन्जैड में मुताबिक राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 192 का ख0नं0 663, 831, 832, 833, 834

कुल रकबा 5.31 है0 दर्ज है। प्रार्थीगण ख0नं0 663 पर पहुंच मार्ग चाहता है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के आराजी ख0नं0 663 पर कोई रिकार्डेड पहुंच मार्ग नही है। प्रार्थीगण ख0नं0 680/1733, 677, 678, 671, 662 से होकर अपनी आराजी ख0नं0 663 पर पहुंच मार्ग चाहता है। ख0नं0 680/1733 अनुसूईया पुत्री, महावीर प्रसाद, संदीप कुमार पुत्रान, विद्या बाई पत्नी स्व0 रूपचन्द के खाते दर्ज है। ख0नं0 671, 678 गंगा बाई पुत्री कन्हैयालाल वगै0 के खाते दर्ज है। ख0नं0 677 भैरू पुत्र शोबक्श व गोपाली बाई पुत्री भंवरलाल के खाते दर्ज है। ख0नं0 662 अनुसूईया पुत्री रूपचन्द वगै0 के खाते दर्ज है। ख0नं0 680/1733 में उक्त रास्ते की लम्बाई 38 मीटर व चौडाई 2 मीटर है। ख0नं0 677 में रास्ते की लम्बाई 133 मीटर व चौडाई 2 मीटर है। ख0नं0 671 में रास्ते की लम्बाई 168 मीटर व चौडाई 2 मीटर है। ख0नं0 678 में रास्ते की लम्बाई 174 मीटर व चौडाई 2 मीटर है। ख0नं0 662 में रास्ते की लम्बाई 68 मीटर व चौडाई 2 मीटर है। अतः सम्पूर्ण रास्ते की लम्बाई 280 मीटर व चौडाई 4 मीटर है तथा प्रस्तावित रास्ते को न्यूनतम दूरी वाला मार्ग संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बताया।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थिया के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे0 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 ता 32 के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 680/1733, ख.नं. 677, ख.नं. 678 व ख.नं. 671 तथा ख.नं. 662 की मेड़ पर होकर बना हुआ है जिस पर प्रार्थिया वक्त आराजी खरीद से तथा आराजी विक्रेता हमेशा से अपने कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि लाते ले जाते चले आ रहे है। परन्तु इस वर्ष फरवरी 2025 में अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 ने रास्ते पर पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है तथा प्रार्थिया को उक्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थिया के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे० पड़त रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रार्थिया रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:—

- वैकल्पिक रास्ता नही होना
- रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना

- सबसे लघुत्तम रास्ता होना

पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन व अवलोकन किया गया जिसके अनुसारः–

ग्राम कुन्जैड, पटवार हल्का कुन्जैड तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 192 पुराना 189 की भूमि ख0नं0 663 रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 834 रकबा 1.45 है0 कुल किता 5 का रकबा 5.31 है0 आराजी प्रार्थीया सीमा पत्नी मनोज हिस्सा पूर्ण खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने ख0नं0 663 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा है।

- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/2310 दिनांक 23.06.2025 के अनुसार प्रार्थीया के नाम दर्ज ख0नं0 663 व कुन्जैड–बोकडा मार्ग के बीच ग्राम कुन्जैड के खाता संख्या 495 के ख0नं0 671 व ख0नं0 678 तथा ग्राम कुन्जैड के खाता संख्या 275 का ख0नं0 677, ग्राम कुन्जैड के खाता संख्या 477 का ख0नं0 662 एवं ग्राम कुन्जैड के खाता संख्या 445 का ख0नं0 680/1733 स्थित है जो अप्रार्थीगण 1 ता 32 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के ख0नं0 663 पर पहुंच हेतु अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर वैकल्पिक रास्ते का अभाव साबित होता है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/2310 दिनांक 23.06.2025 के अनुसार प्रार्थीया के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। कृषि कार्य करने हेतु आवागमन व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है। अतः रास्ते की नितान्त आवश्यकता साबित होती है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/ राजस्व/2025/2310 दिनांक 23.06.2025 के अनुसार प्रार्थीया को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम कुन्जैड के ख0नं0 663 तक पहुच हेतु ख0नं0 680/1733, ख0नं0 678, ख0नं0 677, ख0नं0 662, ख0नं0 671 की मेड से होकर रास्ते की लंबाई 280 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगी, जो सबसे लघुत्तम रास्ता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के स्वामित्व खातेदारी की आराजी ग्राम कुन्जैड तहसील अटरू के खाता संख्या 192 का ख0नं0 663 रकबा 3.40 है0 आराजी तक पहुंच हेतु ग्राम कुन्जैड तहसील अटरू के खाता संख्या 477 के ख0नं0 662, ग्राम कुन्जैड तहसील अटरू के खाता संख्या 275 के ख0नं0 677, ग्राम कुन्जैड तहसील अटरू के खाता संख्या 495 के ख0नं0 671 व ख0नं0 678 एवं ग्राम कुन्जैड तहसील अटरू के खाता संख्या 445 के ख0नं0 680/1733 में से मेड के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा एवं 280 मीटर लम्बा यानी 1120 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.112 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 ता 32 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां